

Result Mitra Daily Magazine

काँपीराइट एक्ट

➤ हालिया संदर्भ :

- तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की संग्रहित कृतियों का 'राष्ट्रीयकरण' किया जाएगा।
- ऐसा किए जाने से ये कृतियाँ जनता के लिये प्रकाशन, अनुवाद एवं अनुकूलन आदि के लिये स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगी।



➤ काँपीराइट कानून :

- इस संबंध में काँपीराइट एक्ट, 1957 लागू
- लेखक के पास कई कानूनी अधिकार, जिसमें संबंधित कृति या कार्य को पुनः प्रस्तुत करने, प्रतियाँ जारी करने, प्रदर्शन करने, अनुकूलित करने या अनुवाद करने का अधिकार शामिल।

- लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट का स्वामित्व लेखक के कानून उत्तराधिकार को हस्तांतरित,
- साहित्य, कला, संगीत, फिल्म और कम्प्यूटर प्रोग्राम आदि पर लागू होता है यह एक्ट,
- 1958 में पारित इस एक्ट में कई बार हो चुका है संशोधन,

➤ **प्रमुख भाग :**

- खंड-2 में कॉपीराइट की परिभाषा में शामिल तत्वों का विवरण,
- खंड-13 में साहित्य, संगीत, नाटक, फिल्म एवं संगीत संबंधी कार्यों के कॉपीराइट का विवरण,
- खंड-14 में कृति/रचना के स्वामी को विशिष्ट अधिकार का वर्णन

Note :- कॉपीराइट में सम्मिलित अधिकारों का प्रयोग कोई भी अन्य व्यक्ति बिना सामग्री के स्वामी के अनुमति के नहीं कर सकता है।

➤ **धारा-18 :**

- यह भाग कॉपीराइट स्वामी को मुआवजे के बदले में कॉपीराइट को किसी भी अन्य व्यक्ति को आंशिक/पूर्णतया सौंपने की अनुमति देता है।
- कॉपीराइट से संबंधित तत्वों पर मूल स्वामी का अधिकार उसकी मृत्यु के 60 साल तक बना रहता है जिसके बाद वह 'सार्वजनिक डोमेन' में चला जाता है।
- 'सार्वजनिक डोमेन' में जाने का अर्थ है कि संबंधित कृतियों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति संबंधित कॉपीराइट स्वामियों के अनुमति के बिना कर सकता है।

➤ **कॉपीराइट का राष्ट्रीयकरण :**

- तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2001 में तमिल भाषा में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिये तमिल वर्चुअल अकादमी (TVA) की स्थापना की।
- TVA ऐसी योजना है, जिसके तहत मूल कॉपीराइट के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें राज्य सरकार को विशिष्ट कार्यों के अधिकार को सौंपने के लिये प्रेरित किया जाता है।
- TVA के अनुसार, तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत सभी पुस्तकें CCO-1.0 यूनिवर्सल पब्लिक डोमेन डेडिकेशन लाइसेंस के तहत पब्लिक डोमेन में जारी होंगी, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति को इसके प्रकाशन अनुवाद आदि के लिये पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- तमिलनाडु सरकार के अनुसार, अभी तक 179 तमिल विद्वानों के कार्यों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, जिसके लिए उनके उत्तराधिकारियों को 14.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
- तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की रचनाएँ 1949 में सार्वजनिक उपयोग के लिये राष्ट्रीयकृत होने वाली प्रथम साहित्यिक रचनाएँ थीं।

➤ संबंधित विवाद :

- वर्ष 1960 में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र सरकार को अंबेडकर की रचनाओं के लिये कॉपीराइट प्रदान किया।
- 1979 में सरकार द्वारा अंबेडकर की रचनाओं का पहला भाग प्रकाशित किया गया।
- 2016 में एक विवाद उत्पन्न हो गया, जब प्रकाश ने केन्द्र सरकार को रचनाओं को पुनः प्रकाशित करने की अनुमति देने से मना कर दिया।
- केन्द्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अंबेडकर की मृत्यु के 60 वर्ष बीत चुके हैं इसलिये उनका कॉपीराइट स्वतः समाप्त हो चुका है।

➤ न्यायालय का फैसला :

- 2024 के फरवरी में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट से संबंधित एक विशिष्ट फैसला सुनाया।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि गणितीय समीकरणों और विज्ञान विषयों से संबंधित पाठ्यपुस्तकों की सामग्री गैर-साहित्यिक प्रकृति की होती है।

Result Mitra